(157)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6189 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 585/अपील/2014-15.

---

1. गुलाम अहमद जीलानी
2. गुलाम हजरत जीलानी

   दोनों पुत्रगण मोहम्मद इलियास खां
3. आगा खां जीलानी
4. कमर खां जीलानी

   दोनों पुत्रगण मुहीउद्दीन उर्फ फरीद खां जीलानी
5. असद खां पुत्र गुलाम अहमद जिलानी
6. जफर खां पुत्र
7. तौफीक खां

   दोनों पुत्रगण गफ्फार खां
8. शबाना पुत्री गुलाम अहमद
9. गुलाम रसूल उर्फ टिक्का मियां
10. हामिद जीलानी
11. राजा मिया
12. खालिद
13. राशिद खां

    समस्त पुत्रगण गुलाम अहमद

    समस्त निवासी ग्राम छिरारी

    तहसील लटेरी जिला विदिशा ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती फरहत आरा पत्नी स्व. मंजूर हसन
2. श्रीमती नजमा अली पत्नी जमीर अली

   पुत्री स्व. मंजूर हसन
3. श्रीमती निगहत हसन पत्नी मेहमूद हसन

   पुत्री स्व. मंजूर हसन
4. श्रीमती मेहज बी पत्नी मजहर अंसारी

   पुत्री स्व. मंजूर हसन

5. श्रीमती रफत खान पत्नी इनाम उल्ला खां
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
6. श्रीमती शबानाउद्दीन पत्नी नईमउद्दीन
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
7. अफरोज हसन पुत्र स्व. मंजूर हसन
8. श्रीमती रजिया हसन पत्नी फिरोज हसन
9. फैज हसन पुत्र फिरोज हसन
10. श्रीमती फेहरीन पत्नी शहाब खिलजी
    पुत्री स्व. फीरोज हसन
11. कु. ताईन पुत्री स्व. फीरोज हसन
    समस्त निवासी अशोक धर्मकांटा
    सरेहा मिल के पास, पुराना चुंगी नाका
    जहांगीराबाद, भोपाल
12. कल्लू पुत्र चुन्नी
13. कुल्ला पुत्र पूरन
14. नंदराम पुत्र मानसिंह
15. अहमद दीन पुत्र सरदार खां
16. पीर खां पुत्र वासल खां
17. शैतान सिंह पुत्र घासीराम
18. नर्मदा पुत्र रामसिंह
    समस्त निवासी ग्राम छिरारी
    तहसील लटेरी जिला विदिशा ....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अबरार अहमद, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 11

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५/५/१९ को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 23-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 11 द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 5/अ-46/84-85 में पारित आदेश दिनांक 20-5-85 के विरूद्ध प्रथम अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19-6-2014 को लगभग 29 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अपील/14-15 दर्ज कर दिनांक 30-5-2015 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 11 द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23-11-2017 को आदेश पारित कर, तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर, अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 20-5-1985 पारित किया है, जिसके विरूद्ध यथासमय अनावेदकगण द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसके उपरांत वर्ष 1999 में भूमिस्वामी द्वारा आवेदकगण के पक्ष में शपथ पत्र दिये है, जिसकी प्रति लिखित तर्क के साथ संलग्न है ।

2. आदेश दिनांक 20-5-1985 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील आदेश दिनांक 30-5-2015 द्वारा समयावधि के बिन्दु पर निरस्त कर दी गई ।

3. दिनांक 30-5-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5/अ-46/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 20-5-1985 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-2015 निरस्त कर, तहसील न्यायालय को अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि विधि अनुकूल नहीं है ।

4. अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रथम दृष्टया ही अवधि बाह्य है, क्योंकि अनावेदकगण को आदेश दिनांक 20-5-1985 के संबंध में जानकारी उस समय से ही रही है, इसके उपरांत भी अनावेदकगण द्वारा लगभग 30 वर्ष उपरांत अपील अपील प्रस्तुत की है ।

5. विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण बताये जाने पर ही अवधि विधान की धारा 5 का लाभ प्राप्त किया

जा सकता है । माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2012(1) जी.एच.एल 670 में यह न्यायिक सिद्धांत अवधारित किया है कि अत्यधिक विलम्ब शासन की ओर से भी किया गया हो तो उसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए ।

6. विगत 30-35 वर्षो की अवधि में वादग्रस्त भूमि को लेकर कई परिवर्तन हुए है । वर्तमान में जो भूमि खसरा क्रमांक 508/1 के संबंध में अपर आयुक्त ने आदेश पारित किया है, उक्त भूमि वर्तमान में कई हिस्सों में विभक्त होकर अन्य-अन्य भूमिस्वामियों के नाम दर्ज हो गई है, जिन्हें न तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । खसरा क्रमांक 508/1/3/2 रकबा 3.500 हेक्टेयर, 508/1/3/1/2 रकबा 1.860 हेक्टेयर, 508/1/2/6/2 रकबा 0.090 हेक्टेयर, 508/1/2/5/2 रकबा 1.000 हेक्टेयर 508/1/2/4/2 रकबा 0.200, 508/1/2/3/2 रकबा 1.000 हेक्टेयर, 508/1/2/2/2 रकबा 0.400 हेक्टेयर एवं 508/1/2/6/2 रकबा 0.090 हेक्टेयर भूमि सीधे अनावेदकगण के पक्ष में दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये हैं ।

7. अपर आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश में यह उल्लेख किया है कि भूमि खसरा क्रमांक 508/1 रकबा 19.552 हेक्टेयर की मांग आवेदकगण की गई है, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा 27.882 हेक्टेयर भूमि संहिता की धारा 190, 110 के तहत आवेदकों को दे दी । नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 20-5-1985 नियम विरूद्ध एवं संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य पाता हूं, जबकि नायब तहसीलदार के न्याया लय में प्रकरण का विधिवत प्रचलन हुआ है । अनावेदकगण को नोटिस जारी किये गये हैं, उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । भूमि खसरा क्रमांक 508/1 के रकबे के संबंध में कोई विवाद नहीं है । आवेदकगण ने सम्पूर्ण भूमि पर संहिता की धारा 190 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त किये थे तथा उसी के अनुरूप तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-5-1985 से उन्हें भूमिस्वामी घोषित किया गया है ।

8. आदेश दिनांक 20-5-1985 के लगभग 30 वर्ष बाद अनावेदकगण ने उक्त आदेश को चुनौती दी है । 30 वर्ष की अवधि में विरोधी आधिपत्य के आधार पर शासन के विरूद्ध भूमिस्वामी अधिकार अर्जित हो जाते हैं तथा स्वतंत्र व्यक्ति के विरूद्ध यह अवधि तो मात्र 12 वर्ष की ही है । ऐसी दशा में आवेदकगण का निरंतर कब्जा वर्ष 1985 के पूर्व से चले आर रहे होने के आधार पर भी उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गया है, जिसमें अब राजस्व न्यायालय को किसी तरह के काई हस्तक्षेप का अधिकार शेष नहीं रह गया है ।

तर्कों के समर्थन में AIR(SC) 2012 0 1506, AIR(SC)(CIV) 2012 0 1109, AIR(SCW) 2012 0 1812, ALLINDCAS 2012 112 69, ALLLR 2012 91 879, AWC 2012 3 2651, CALHN(SC) 2012 3 20, CALLJ(SC) 2012 2 93, CALLT(SC) 2012 3 65, CC 2012 174 387, CIVCC 2012 2 1, CLT 2012 1 338, CLT 2012 113 1066, CTC 2012 2 240, CURCC 2012 1 173, ELT 2012 277 289, GLH 2012 1 670, GLHEL 2012 0 50962, ITR 2012 348 7, JCR(SC) 2012 3 59, JLJR 2012 2 252, JT 2012 2 483, LAWS(SC) 2012 2 3, LCD 2012 30 535, MADLW 2012 4 100, PATLJR(SC) 2012 2 371, RAJLW 2012 3 2142, RD 2012 116 167, SCALE 2012 2 782, SCC(CR) 2012 2 580, SCC(L&S) 2012 1 649, SCJ 2012 3 873, SCR 2012 1 1045, SCT 2012 2 269, SLJ 2013 1 320, SLT 2012 2 312, SUPPREME 2012 2 244, TAXMAN 2012 207 163, 2008 17 JT 448, 1987 2 SCC 107, 1994 SUPP2 SCC 603, 1996 3 SCC 132, 1996 9 SCC 309, 1998 2 SCC 142, 2001 3 SCC 277, 2002 10 SCC 176 एवं 2005 3 SCC 752 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 508/1 उनकी पैतृक भूमि है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा मौखिक पट्टे के आधार पर जोतने के आधार पर संहिता की धारा 190, 110 के तहत गुलाम अहमद एवं गुलाम हजरत अली के नाम नामांतरण स्वीकार की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर एकक्षीय आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति मंजूर हसन को चस्पीदगी से तामील कराई जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा तामीली की अनुसूची 1 के समन तामीली के ढंग के नियम की मंशा के विपरीत कार्यवाही कर, आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है और ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए समय-सीमा का कोई बंधन नहीं है, जिस पर कोई विचार नहीं कर, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 11 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त करने में भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विवेचना करते हुए न्याय-दृष्टांत 2005 आर.एन. 186, 2010 आर.एन. 111, 2010 आर.एन. 115, 2012 आर.एन. 108, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. पेज 1353 एवं 2004 एम.पी.वीकली

नोट 72=2003(3) एम.पी.एच.टी. 367 के प्रकाश में विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ शेष अनावेदक पक्ष पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

6/ आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोक से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक ने संहिता की धारा 190-110 के तहत कब्जे के आधार पर मौरूसी हक उत्पन्न होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि में से रकबा 19.552 हेक्टेयर भूमि पर नामांतरण की मांग की । तहसील न्यायालय ने बिना अभिलिखित भूमिस्वामी को सुने, बिना इस तथ्य की पुष्टि किए कि कब और किन शर्तों पर भूमि अनावेदक पक्ष ने आवेदक पक्ष को पट्टे पर दी तहसील न्यायालय ने मांगी गई भूमि से अधिक भूमि रकबा 27.328 हेक्टेयर पर आवेदक पक्ष का नामांतरण कर दिया है । एक मात्र इसी आधार पर तहसील न्यायलय का आदेश निरस्ती योग्य हो जाता है ।

जैसा कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तार से विवेचना की है कि अनावेदक पक्ष को बताई गई तामीली संदेहास्पद है । अपर आयुक्त का निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि भूमिस्वामी मंजूर हसन को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था, इसके बाद भी उसे सूचना पत्र तामील के लिए भेजा गया, जिसमें फौत बताया गया लेकिन इसके बाद भी विधिक अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई । अत: आवेदक पक्ष द्वारा इस संबंध में उठाये गये तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

जहां तक समय-सीमा का प्रश्न है- जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है कि तहसील न्यायालय का आदेश प्रथमत: ही अवैधानिक होकर मूल भूमिस्वामी को उसके हक से वंचित करने वाला होने से ऐसा अवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है । इस संबंध में भी अपर आयुक्त ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में विस्तृत विवेचना की है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील समय बाहय मानने में निश्चित रूप से त्रुटि की गई है, क्योंकि अवैधानिक आदेश का परीक्षण गुण-दोष पर ही किया जाना उपयुक्त होता है । न्याय दृष्टांत 1995 आर.एन. 419 (उच्च न्यायालय) म.प्र. राज्य विरूद्ध सौभाग्य सिंह तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"अधिकारिता—अधिकारिता का प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है—इसे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर उठाया जा सकता है ।"

अत: इस संबंध में भी आवेदक पक्ष के तर्क माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में मानने योग्य नहीं हैं । जहां तक आवेदक पक्ष के प्रतिकूल कब्जे संबंधी तर्कों का प्रश्न है, कब्जे के आधार पर स्वत्व देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 23-11-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह अभिलेख दुरूस्ती कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक को पुर्नस्थापित करने की आवश्यक कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर